न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– **डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.**

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 93/2019

निर्णय दिनांक :– 21.1.2020

जगुनाथ उर्फ जगनाथ पुत्र स्यादनाथ उर्फ सादरनाथ जाति सिद्ध निवासी जासासर हाल बलरामपुर तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थित:–

1. श्री मगनाथ सिद्ध अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 31.12.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बलरामपुर की रोही में खाता सं. 23 के ख.नं. 626/97 तादादी 4.8562 हैक्टेयर व ख.नं. 95 तादादी 0.9611 हैक्टेयर कुल तादादी 5.8173 हैक्टेयर चली आ रही है। खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम जगनाथ पुत्र सादरनाथ अकिंत है। प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

अन्य दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में जगुनाथ पुत्र स्यादनाथ अकिंत है। प्रार्थी ने किसान क्रेडिट कार्ड बढवाने हेतु खेत की नकल निकलवाई तो पता चला कि राजस्व रेकार्ड में नाम अशुद्ध चला आ रहा है। दिनांक 23.12.2019 को तहसीलदार साहब को राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्धि हेतु निवेदन किया तो कहा कि दावा एस.डी.एम. साहब के पास पेश करों। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे गलत नाम जगनाथ पुत्र सादरनाथ के स्थान पर जगुनाथ पुत्र स्यादनाथ शुद्धि करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खाता सं. 23 खेत ख.नं. 626/97 तादादी 4.8562 हैक्टेयर व ख.नं. 95 तादादी 0.9611 कुल तादादी 5.8173 हैक्टेयर वाके रोही बलरामपुर तहसील रतनगढ में दर्ज गलत नाम को जगुनाथ पुत्र स्यादनाथ शुद्धिकरण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 7.1.2020 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जगनाथ पुत्र सादरनाथ अकिंत है जबकि अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम जगुनाथ पुत्र स्यादनाथ अकिंत है। दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। इसलिए शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड सरंपच का प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2020 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम अन्य सभी दस्तावेजात में जगुनाथ पुत्र स्यादनाथ अकिंत है। तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि खाता सं. 23 के खेत ख.नं. 626/97 तादादी 4.8562 हैक्टेयर व ख.नं. 95 तादादी 0.9611 कुल तादादी 5.8173 हैक्टेयर वाके रोही बलरामपुर तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जगनाथ पुत्र सादरनाथ के स्थान पर जगुनाथ पुत्र स्यादनाथ शुद्ध अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

Saini

(डॉ. गौरव सैनी)

उपखण्ड अधिकारी

रतनगढ(चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 13:07:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: